न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-544RAAJodhpur2021-227RTA223 Dhanaram Vs Momraj etc

धनाराम पुत्र श्री सांवता राम, जाति विश्नोई, निवासी गोदाणां, भीयांसर तहसील फलोदी, जिला फलोदी ।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. मोमराज पुत्र श्री सांवताराम, जाति बिश्नोई, निवासी गोदाणां, तहसील फलोदी जिला फलोदी।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 अक्टूबर 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 10/2024 मोमराज बनाम धनाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोषनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 05 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 10/2024 अनवान मोमराज बनाम धनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 अक्टूबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम गोदाणां तहसील फलोदी के खेत

खसरा संख्या 364 रकबा 4.1197 हैक्टेयर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही केवल पोस्टल रसीद एवं डिलीवरी रिपोर्ट के आधार पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जबकि अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड सहखातेदार है। कानूनन अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर विधिवत् नोटिस तामिल करवा कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उन्हें एकतरफा निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट को पहली बार जानकारी पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक भोजासर ने गाँव में आकर बताने पर, कि हम सहायक कलेक्टर (त्वरित) के आदेश पर आपकी भूमि का बँटवाड़ा करने के लिए आए हैं। तब अपीलार्थी ने फलौदी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का पता कर दिनांक 10.12.2024 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन करवाया, जिस पर नकल तैयार होकर प्राप्त हुई। तब इसकी पूर्ण जानकारी हुई। इससे पहले अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 10/2024 अनवान मोमराज बनाम

धनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 अक्टूबर 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तब विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपने हक–हिस्से में परिवर्तन बाबत कोई उज्र उठाया गया है। मामले में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होना है। अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 09 नियम 13 प्रस्तुत कर चाराजोही करने का अवसर प्राप्त था, किंतु अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई चाराजोही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम गोदाणां तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 364 रकबा 4.1197 हैक्टेयर में वादीगण

एवं प्रतिवादीगण के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार राजस्थान काष्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु तहसीलदार फलोदी को निर्देष दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से उनके हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 10/2024 अनवान मोमराज बनाम धनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 अक्टूबर 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार फलोदी को निर्देषित किया जाता है कि वह राजस्थान काष्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिष्चित करते हुए नये सिरे से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर